मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल–16

क्रमांक /निस/सस/मु.प्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा खतरनाक अपशिष्ठ नियम 2008 के अंतर्गत सम्मति एवं प्राधिकार हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने हेतु प्रकिया का निर्धारण कर प्राप्त आवेदनों की जांच करते हुये प्रोसेस किये जाने व प्रकरण उच्च स्तर पर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन जारी किये गये हैं । एक्सजीएन में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण में पूर्व में निर्धारित प्रकिया का पालन होना नहीं पाया गया है । अतः एक्सजीएन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु निम्नानुसार जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाता है :–

1. संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी उद्योगों/संस्थाओं के Profile को उपयुक्त एवं पूर्ण जानकारी जिसमें उद्योग स्थल का पता, उत्पाद, उत्पादन क्षमता, जल खपत, उपचार व्यवस्था का विवरण आदि सही होने की स्थिति में ही Approve करेगें । अनुमोदित प्रोफाईल में अपूर्ण एवं गलत जानकारी पाये जाने पर इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्षेत्रीय अधिकारी की होगी। यदि अधिनस्थ कर्मचारी प्रोफाईल परीक्षण में जापरवाही करता है जो उसके विरूद्ध क्षेत्रीय अधिकारी अपने स्तर से कार्यवाही करें ।
2. जल एवं वायु सम्मति आवेदन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तथा इसमें उद्योग का नाम, स्थल का पूर्ण पता, उत्पाद, उत्पादन क्षमता के आधार पर सम्मति पत्र में उपरोक्त जानकारी के साथ–साथ आवश्यक शर्तो का समावेश किया जाता है । मुख्यालय स्तर पर जारी होने वाले सम्मति/प्राधिकार प्रारुप बनाने/बनवाने व इसकी जांच की जिम्मेदारी संबंधित यूनिट हेड की, तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है।
3. उद्योगों/संस्थाओं को पर्यावरणीय अधिनियमों के उल्लंघन संबंधी कारण बताओ नोटिस, निर्देश पत्र ऑफलाईन के स्थान पर XGN के माध्यम से ऑन लाईन जारी किये जाने हैं, इस हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, संबंधित उद्योग/संस्था के PCB-ID को Initiate कर आवश्यक प्रस्ताव प्रारूप सहित मुख्यालय प्रेषित करेगें, भविष्य में कोई भी प्रकरण ऑफलाईन प्रस्तुत नहीं किये जावें।

(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव
05 FEB 2016

पृ. कमांक 170/स्था/प्रनिबो/2016, भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/मुख्य अभियंता (पर्यावरण)/अधीक्षण यंत्री– I/II/III/IV/ कार्यापालन यंत्री– I/II/III, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय ,म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल/इन्दौर/धार/ एसईजेड/ग्वालियर(पीथमपुर)/उज्जैन/गुना/शहडोल/जबलपुर/कटनी/छिंदवाड़ा/ सागर/ सतना/रीवा/सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. आई.टी. सेल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. गार्ड फाईल।

(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव